भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
कार्मिक प्रभाग

विज्ञापन सं. 05/2022(आर-I)

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख : **12.09.2022**

"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की संख्या में संतुलन बना रहे और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।"

भापअ केंद्र, मुंबई, जीसीएनईपी, हरियाणा एवं आरएमआरसी, कोलकाता में निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य **अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।**

I. विज्ञापित पद

पद कोड	पद का नाम	इकाई	पदों की संख्या					
			एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	अनारक्षित	कुल
डीआर/01	नर्स/ए	भापअ केंद्र	01	00	04	01	07	13
डीआर/02	वैज्ञानिक सहायक/बी (पैथॉलॉजी)	भापअ केंद्र	00	00	01	00	01	02
डीआर/03	वैज्ञानिक सहायक/बी (नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद्)	आरएमआरसी	01	00	03	02	02	08
डीआर/04	वैज्ञानिक सहायक/सी (चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता)	भापअ केंद्र	00	00	00	00	01	01
डीआर/05	सब आफीसर/बी	भापअ केंद्र	00	01	01	00	02	04
डीआर/06	वैज्ञानिक सहायक/बी (सिविल)	भापअ केंद्र एवं जीसीएनईपी	02	01	02	01	02	08
	कुल		04	02	11	04	15	36

II *शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता एवं अनुभव

पद कोड	पद का नाम	*शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता एवं अनुभव
डीआर/01	नर्स/ए	XII वीं कक्षा तथा नर्सिंग एवं मिडवाईफरी में डिप्लोमा (03 वर्ष का पाठ्यक्रम) + भारत मे केंद्रीय/राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स के रूप में वैध पंजीकरण । अथवा बी.एससी(नर्सिंग) अथवा नर्सिंग 'ए' प्रमाणपत्र सहित सशस्त्र अस्पताल में 03 वर्ष का अनुभव अथवा वर्ग III या उसके ऊपरी श्रेणी में नर्सिंग एसिस्टेंट प्रमाणपत्र । [नर्सिंग में बी.एससी. डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को भर्ती के समय दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां (बिना आमेलन) दिए जाने हेतु विचार किया जा सकता है।]
डीआर/02	वैज्ञानिक सहायक/बी (पैथॉलॉजी)	60% अंक सहित बी.एससी. तथा उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 60% अंक सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा (डीएमएलटी) या बीएससी (मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी) 60% अंक के साथ ।
डीआर/03	वैज्ञानिक सहायक/बी (नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद्)	60% अंक सहित बी.एससी. + 50% अंक सहित डीएमआरआईटी/डीएनएमटी /डीएफआईटी (डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियो आइसोटोप टेक्नीक्स / डिप्लोमा इन न्यूक्लियर मेडीसीन टेक्नोलॉजी / डिप्लोमा इन फ्यूजन इमेजिंग टेक्नोलॉजी)

		अथवा 60% अंक सहित बी.एससी (न्यूक्लियर मेडीसीन टेक्नोलॉजी)
डीआर/04	वैज्ञानिक सहायक/सी (चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता)	50% अंक सहित चिकित्सीय सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री एवं मनोचिकित्सीय/मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक कार्य के विषयों में विशेषज्ञता होनी चाहिए। अस्पताल आधारित चिकित्सीय एवं मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्य में 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
डीआर/05	सब- आफीसर /बी	50% अंकों सहित एचएससी (10+2) (रसायन शास्त्र सहित विज्ञान) अथवा उसके समतुल्य पाठ्यक्रम जिसमें 50% अंक प्राप्त किये हों + राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज, नागपुर से सब आफीसर का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया होना चाहिए । तथा 12 वर्ष (लीडिंग फायरमैन के रूप में 5 वर्ष) का अनुभव हो जिसमें से कम से कम 02 वर्ष का संगत अनुभव अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के बाद प्राप्त किया गया होना चाहिए। अथवा फायरमैन/ड्राईवर सह ऑपरेटर के रूप में 15 वर्ष का संगत अनुभव जिसमें से कम से कम 02 वर्ष का संगत अनुभव अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के बाद प्राप्त किया गया होना चाहिए। [भारी वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियोंको वरीयता दी जाएगी।]
डीआर/06	वैज्ञानिक सहायक/बी (सिविल)	न्यूनतम 60% अंक सहित सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा । (एसएससी के बाद 03 वर्ष/एचएससी/बीएससी के बाद 02 वर्ष)
*मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से होनी चाहिए।		

III. 12.09.2022 को आयु सीमा, परिलब्धियां, सेवा वर्ग

पद कोड	पद का नाम	सेवा वर्ग	वेतन मैट्रिक्स लेवल	आरंभिक वेतन (रु.)	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु			
						एससी	एसटी	ओबीसी	ई डब्ल्यू एस / अनारक्षित
डीआर/01	नर्स/ए	बी	7	44900	18	35	लागू नहीं।	33	30
डीआर/02	वैज्ञानिक सहायक/बी (पैथॉलॉजी)	बी	6	35400	18	लागू नहीं।	लागू नहीं।	33	30
डीआर/03	वैज्ञानिक सहायक/बी (नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद्)	बी	6	35400	18	35	लागू नहीं।	33	30
डीआर/04	वैज्ञानिक सहायक/सी (चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता)	बी	7	44900	18	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	30
डीआर/05	सब- आफीसर /बी	बी	6	35400	18	लागू नहीं।	45	43	40
डीआर/ 06	वैज्ञानिक सहायक/बी (सिविल)	बी	6	35400	18	35	35	33	30
आरंभिक वेतन के साथ ही केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार भत्ते देय होंगे ।									

नोट: स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र (स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) अथवा समतुल्य प्रमाणपत्र में इंगित जन्म तारीख को ही स्वीकार किया जाएगा । इस विषय में किसी भी परिवर्तन के लिए बाद में प्रस्तुत अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए चिन्हित पद

पद कोड	पद का नाम	चिन्हित श्रेणी	
डीआर/06	वैज्ञानिक सहायक/बी (सिविल)	श्रवण बाधित/ अस्थि दिव्यांग	एचएच: श्रवण बाधित अथवा श्रवण शक्ति श्रीण होना । (पीडी- आंशिक रूप से बहरा) ओएच- अस्थि दिव्यांग (ओएल/ओए-एक पैर/एक हाथ से प्रभावित)

(नोट: "श्रवण दोष" का अर्थ है वार्तलाप की सीमा की आवृत्ति में स्वस्थ कान की स्थिति में 60 डेसीबल या उससे अधिक की कमी होना । बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए वैध प्रमाण पत्र के साथ ।)

<u>अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जाएगी :</u>

1.	चिह्नित पद हेतु बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूडी) वाले व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष और पीडब्ल्यूडी-अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 08 वर्ष और पीडब्ल्यूडी-एससी/ एस टी के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष।
2.	डीआर-05 सब- आफीसर /बी के लिए : अभ्यर्थियों को अग्निशमन क्षेत्र में उनके अनुभव के वर्षों की संख्या के बराबर आयु में छूट प्रदान की जाएगी । तथापि यह छूट अधिकतम 5 वर्षों के लिए होगी ।
3.	विभागीय अभ्यर्थियों को जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को, समान कार्यक्षेत्र अथवा सम्बद्ध काडर में कम से कम तीन वर्षों की सतत एवं नियमित सेवा पूरी की है, वे भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे ।
4.	1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों/परिवार के सदस्यों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।
5.	विधवा, तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाएं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया हैं, वे सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं ।
6.	मेधावी खिलाड़ी भी भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ।

IV **चयन की प्रक्रिया**

पद कोड	चयन प्रक्रिया
डीआर/01	चयन प्रक्रिया में 3 चरणों में परीक्षाएं होंगी । **चरण 1 - प्रारंभिक परीक्षा** : अभ्यर्थियों को लघुसूचीकृत करने के लिए छंटाई परीक्षा का आयोजन किया जाएगा । छंटाई परीक्षा का प्रारूप निम्नानुसार होगा : 1. एक घंटे की परीक्षा में निम्नलिखित अनुपात में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे (उत्तर हेतु 4 विकल्प): ए. गणित – 20 प्रश्न बी. विज्ञान – 20 प्रश्न सी. सामान्य जानकारी – 10 प्रश्न 2. 'प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिये जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काट लिया जाएगा । सामान्य श्रेणी के 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छांट दिया जाएगा । आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम कटऑफ 30% के नीचे निर्धारित नहीं किया जाएगा ।
	चरण 2-प्रगत परीक्षा : चरण 1 में पात्र पाये गए सभी अभ्यर्थियों को अपने

	संबंधित ट्रेड/विषय के चरण 2 (प्रगत परीक्षा) की परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी । 1. दो घंटे की परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे (उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे) 2. प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिये जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काट लिया जाएगा। 3. चरण-2 की समाप्ति पर, केवल चरण-2 में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी । सामान्य श्रेणी में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छांट दिया जाएगा । आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम कट ऑफ **20%** से कम निर्धारित नहीं किया जायेगा ।
	चरण 3- कौशल परीक्षा: 1. चरण-2 के बाद तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को चरण-3 (कौशल परीक्षा) के लिए लघुसूचीकृत किया जाएगा। 2. कौशल परीक्षा हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की संख्या चरण 2 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर होगी परंतु यह प्रत्येक ट्रेड में रिक्तियों की संख्या से 4-5 गुना से अधिक नहीं होगी। 3. कौशल परीक्षा **Go/No Go** के आधार पर होगी । कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चरण-2 में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रमानुसार लघुसूचीकृत एवं नामिकाबद्ध किया जाएगा।
डीआर/02, डीआर/03, डीआर/04 एवं डीआर/06	वैयक्तिक साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाएगा। यदि अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस अनुसंधान केंद्र के पास पात्र अभ्यर्थियों की छंटाई परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है । भा.प.अ.केंद्र का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
डीआर/05	चयन की प्रक्रिया में तीन चरणों में परीक्षाएं होंगी । **चरण 1:** अपेक्षाएं पूर्ण करने वाले आवेदकों को नीचे **तालिका-1** के अनुसार शारीरिक मापदंडों की जांच हेतु बुलाया जाएगा। शारीरिक मापदंड पूर्ण करने वाले को **तालिका-2** में निर्धारित मापदंडों के अनुसार शारीरिक जॉच परीक्षा देनी होगी ।
	चरण 2 - प्रारंभिक परीक्षा: चरण -1 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देने हेतु अनुमति दी जाएगी। एक घंटे की परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे (उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे)(गणित-20 प्रश्न, विज्ञान-20 प्रश्न एवं सामान्य जानकारी-10 प्रश्न) मूल्यांकन का तरीका: प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काट लिया जाएगा । नोट: सामान्य श्रेणी में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी छांट दिए जाएंगे । आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 30% से कम निर्धारित नहीं किया जायेगा ।
	चरण 3 - प्रगत परीक्षा: 1. चरण **2** (प्रारंभिक परीक्षा) में उत्तीर्ण सभी लघुसूचीकृत अभ्यर्थी अपने ट्रेड से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न युक्त प्रगत परीक्षा हेतु पात्र होंगे । परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी । 2. 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों में (उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे) प्रत्येक सही उत्तर के

	लिए '3' अंक दिये जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काट लिया जाएगा। 3. सामान्य श्रेणी में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छांट दिया जाएगा । आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 20% से नीचे निर्धारित नहीं किया जाएगा । अंतिम योग्यता सूची चरण-3 में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी ।

तालिका-1 – **अग्निशमन सेवा के पदों के लिए शारीरिक मापदंड** (डीआर/05)

1	कोई विकृति न हो ।	
2	कद	165 से.मी. (न्यूनतम)
3	वजन	50 किलोग्राम (न्यूनतम)
4	छाती	81 से.मी. (सामान्य) और 86 सेमी (फुलाकर)
5	दृष्टि	(ए) 6/6 बिना चश्मे अथवा किसी अन्य उपकरण/यंत्र का प्रयोग किये। (बी) रतौंधी या वर्णाधता को आयोग्यता माना जाएगा ।

तालिका-2 - शारीरिक जाँच परीक्षा (डीआर/05)

क्र. सं.	शारीरिक क्षमता परीक्षा का विवरण	40 वर्ष की आयु तक	40-45 के वर्ष के बीच में	45-50 वर्ष के बीच में
1.	100 मीटर की दौड पूरा करने में सक्षमता ।	25 सेकंड	28 सेकंड	30 सेकंड
2.	उपयंत्र से 15 मीटर की लंबाई वाले 4 होज को बिछाने में सक्षमता ।	3 मिनट	4 मिनट	5 मिनट
3.	10 मीटर लंबाई वाली विस्तार सीढ़ी पर दो बार चढने और उतरने मे सक्षमता ।	2 मिनट	3 मिनट	4 मिनट
4.	फायरमैन लिफ्ट पद्धति द्वारा लगभग अपने वज़न के बराबर के किसी व्यक्ति को 25 मीटर से अधिक दूरी तक ले जाने की क्षमता।	3 मिनट	4 मिनट	5 मिनट
5.	लगातार 'पुश अप' करने में सक्षम।	20	15	12
6.	1.6 किलोमीटर दौड़ने में सक्षम ।	10 मिनट	12 मिनट	14 मिनट
7.	रस्सी या सीधी पाइप पर चढ़ना ।	3 मीटर	लागू नहीं।	लागू नहीं।

नोट:

1. **तालिका-2 के** क्र.सं.1 में उल्लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है और इसमें उत्तीर्ण न होने पर अभ्यर्थी भर्ती के लिए अयोग्य होगा और उसे आगे की जाँच परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
2. **तालिका** -2 के क्र.सं. 2 से क्र.सं.7 तक (इनका वेटेज समान लिया जाएगा) की जाँच परीक्षाओं को मिलाकर, इसमें अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत, औसतन 90% या उससे अधिक होगा।
3. उक्त परीक्षाओं के अतिरिक्त, वह शारीरिक प्रशिक्षण, स्क्वैड ड्रिल, अग्निशमन ड्रिल, अग्निशमन/ट्रेलर पंप प्रचालन में सक्षम होना चाहिए।
4. अभ्यर्थियों को शारीरिक क्षमता निर्धारण परीक्षा **स्वयं के जोखिम** पर देनी होगी और शारीरिक क्षमता निर्धारण परीक्षा के दौरान लगी किसी भी चोट के लिए भापअ केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा ।

VI कार्य का स्वरूप

पद कोड	पद का नाम	कार्य का स्वरूप
डीआर/01	नर्स/ए	अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में नर्सिंग/प्रसूति संबंधी ड्यूटी करना । आईसीसीयू/ऑपरेशन थियेटर का अनुभव तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान रखने वाले

पद कोड	पद का नाम	कार्य का स्वरूप
		अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
डीआर/02	वैज्ञानिक सहायक/बी (पैथॉलॉजी)	शिफ्ट ड्यूटी सहित आपातकालीन प्रयोगशाला, फ्लेबोटोमी, क्लीनिकल पैथालाजी, बायोकेमिस्ट्री, हीमैटोलाजी, वायरोलाजी सुविधा सहित माइक्राबायोलाजी, ब्लड बैंक एवं इम्यूनोलाजी संबंधी प्रयोगशालाओं में काम करना आना चाहिए।
डीआर/03	वैज्ञानिक सहायक/बी (नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद्)	इन पदों के समक्ष तैनात किये गये व्यक्तियों को नाभिकीय औषध प्रौद्योगिकीविद, नाभिकीय औषध चिकित्सक के दायित्वों का निर्वहन करना होगा, अध्यापन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता करनी होगी तथा हमारे केंद्र में संपन्न किये जाने वाले विविध शोध अध्ययनों में सहभागिता करनी होगी। इन्हें रेडियोआईसोटोप का उपयोग करते हुए अपटेक प्रोब, गामा, कैमरा, स्पेक्ट प्रणालियों तथा पीईटी/सीटी स्कैनर द्वारा विविध अंगों के नाभिकीय औषध अध्ययन संपन्न करने होंगे । इन दायित्वों में रोगी को प्रक्रिया के लिए तैयार करना, बिंबन युक्तियों के नीचे सही जगह अवस्थित करना एवं हटाना, उचित रेडियोफार्मेसूटिकल, इंजेक्शन लगाना, डाटा प्राप्ति तथा विश्लेषण शामिल है। इन्हें बिंबन उपस्करों के मूल्यांकन एवं निष्पादन आश्वासन संबंधी कार्य भी संभालना होगा तथा नाभिकीय औषध अध्ययन में यथा प्रयुक्त रेडियोसक्रिय स्रोतों का प्रहस्तन करना होगा। उन्हें एचबीएनआई के शैक्षणिक कार्यक्रमों यथा मेडिकल रेडियोआईसोटोप तकनीक (डी.एम.आर.आई.टी) में एक वर्ष का डिप्लोमा तथा एमडी (नाभिकीय औषध) पाठ्यक्रम के संचालन गतिविधियों के तहत व्याख्यान प्रस्तुत करने, प्रशिक्षुओं की देख-रेख करने तथा निदर्शन/प्रयोग संपन्न करने जैसी गतिविधियों में सम्मिलित किया जाएगा । उन्हें रोगियों के विविध समूहों पर, विभाग द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन करने के अवसर प्राप्त होंगे ताकि बेहतर निदान एवं संवृद्ध रोगी देखभाल हेतु तकनीक में सुधार किये जा सकें।
डीआर/04	वैज्ञानिक सहायक/सी (चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता)	स्वास्थ्य-देखभाल दल के भाग के रूप में, अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा देखभाल एवं समुदाय आधारित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एवं सुधार उपाय करना।
डीआर/05	सब- आफीसर /बी	पदाधिकारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे: • अग्निशमन आपात्काल स्थिति में उपस्थित रहना, ड्यूटी पर विशेष कॉल लेना । फायर स्टेशन में अग्निशमन उपस्करों, यंत्रों, पंपों का प्रभार और जिम्मेदारी लेना । • यह सुनिश्चित करना कि अग्निशमन संचार प्रणाली और अग्निशमन संरक्षा प्रणाली हमेशा क्रियाशील स्थिति में हैं । • अपने प्रभाराधीन व्यक्तियों को अग्निशमन संरक्षा ड्रिल, स्क्वाड ड्रिल संबंधी अनुदेश देना और संचालन करना । अग्निशमन यंत्रों और उपस्करों के रख-रखाव की व्यवस्था करना । • यह सुनिश्चित करना कि सभी लॉग बुक, घटना पुस्तिका, हाज़िरी पंजिका का रखरखाव किया गया है । • यह सुनिश्चित करना कि फायर स्टेशन में तैनात स्टाफ सही वर्दी पहन रहे हैं/ सेफ्टी गियर का प्रयोग कर रहे हैं और वे कार्यो के बारे में भलीभांति परिचित है । • यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिक उपचार वाले सभी अग्निशमन उपस्करों का मानदंडों के अनुसार अनुरक्षण किया जाता है । • यह सुनिश्चित करना कि समस्त प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन उपस्करों का रख-रखाव मानकानुसार किया जा रहा है।

पद कोड	पद का नाम	कार्य का स्वरूप
डीआर/06	वैज्ञानिक सहायक/बी (सिविल)	आधारभूत अवसंरचना संबंधी कार्यों हेतु निर्माण एवं अनुरक्षण (समस्त भारत में फैली भापअ केंद्र की सुविधाओं की निविदाकरण गतिविधियों सहित)

VII विद्यमान अतिरिक्त लाभ :

नियमों के अंतर्गत यथा स्वीकार्य सामान्य वेतन एवं भत्तों के अलावा, परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारी निम्नलिखित के भी हकदार हैं :

- उत्साहजनक कार्य का वातावरण
- पऊवि की योग्यता पदोन्नति योजना के अंतर्गत शामिल उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति
- स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधा
- आकर्षक कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन
- आकर्षक व्यावसायिक उन्नयन भत्ता
- स्वयं एवं परिवार के लिए छुट्टी यात्रा रियायत
- शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति ।
- भारत सरकार के आदेशों के अनुसार विभागीय आवास की सुविधा

चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति होने पर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा शासित होंगे ।

VIII <u>आवेदन कैसे करें</u> ?

1.	आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
2.	ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दिनांक **17.08.2022** से **12.09.2022** तक उपलब्ध रहेगी ।
3.	कृपया आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु वेबसाइट <recruit.barc.gov.in> पर जाएं ।अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट के होम पेज पर "How to apply" विकल्प पर क्लिक करके दिए गए निदेशों को ध्यान पूर्वक पढ लें ।
4.	एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा । यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद हेतु अलग से आवेदन तथा शुल्क प्रस्तुत करना होगा ।
5.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख (**12.09.2022**) की प्रतीक्षा किए बिना ऑनलाइन आवेदन को पहले ही जमा कर दें ।

आवेदन शुल्क :

1.	आवेदन शुल्क – रु. 150/- (रूपये एक सौ पचास मात्र) (सभी पदों के लिए)
2.	आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही किया जाना है ।
3.	एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एवं महिला वर्ग को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है ।
4.	आवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद आवेदन नंबर प्राप्त होगा । आवेदक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा । ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख या उससे पहले शुल्क का भुगतान 'नहीं' करने पर आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा एवं इस कारण आवेदन **रद्द कर दिया जाएगा।**
5.	शुल्क के भुगतान हेतु अभ्यर्थी को 'My Account' मेनू में 'Make payment' विकल्प पर क्लिक करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्मित आवेदन संख्या को ड्रॉप डाउन बॉक्स से चुना जा सकता है तथा 'Submit' बटन दबाकर अभ्यर्थी, ऑनलाइन भुगतान करने हेतु अगले पृष्ठ पर जा सकते हैं।
6.	आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश "Job Application→How to Pay App. Fee" मेनू के अंतर्गत दिये गये हैं।
7.	एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और किसी अन्य भर्ती हेतु इसे बचाये नही रखा जा सकता है ।

IX सामान्य शर्तें

1.	ऊपर दिखाई गई रिक्तियां अस्थायी और परिवर्तनशील हैं । विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की भर्ती, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन हैं और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, उन्हें नहीं भी भरा जा सकता है ।
2.	यह अनुसंधान केंद्र बिना किसी अतिरिक्त सूचना को जारी किये या बिना कोई कारण बताए, भर्ती की इस प्रक्रिया को भरने अथवा इसे निरस्त/सीमित/सुधार/परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3.	जिन अभ्यर्थियों को "**प्रतीक्षा सूची**" की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव केवल तब ही दिया जाएगा जब "**मुख्य सूची**" में सूचीबद्ध कोई अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करता है ।
4.	अनुभव की अवधि के साथ-साथ पात्रता संबंधी सभी मानदंड, जैसा कि विज्ञापन में निर्धारित किया गया है, को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (12.09.2022) से निर्धारित किया जायेगा ।
5.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने सभी सूचनाएं सही भरी हैं। जो अभ्यर्थी गलत सूचना भरते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएंगा । इसके अतिरिक्त, भापअ केंद्र के पास किसी भी समय, किसी भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
6.	ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (12.09.2022) तक विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
7.	यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान, जो दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था से बीएससी जैसे विषयों की पढ़ाई करवातें हैं, वे दूरस्थ शिक्षा ब्यूरों (डीईबी-यूजीसी) द्वारा मान्यताप्राप्त हों और तकनीकी विषयों के मामले में, ये विषय और साथ ही ऐसे संस्थान, जहां से उक्त अर्हता प्राप्त की गई हो, वे देश के शीर्षस्थ निकायों जैसे एआईसीटीई, एनसीटीई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि से मान्यता प्राप्त हों ।
8.	यदि विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा लेटर ग्रेड/सीजीपीए/ओजीपीए/एसजीपीए प्रदान किया जाता है, तो अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों के अनुसार, उक्त ग्रेड/सीजीपीए/ओजीपीए/एसजीपीए के समतुल्य प्रतिशत को दर्शाना होगा ऐसा न करने पर, उक्त अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय, संबंधित संस्था से उक्त रूपांतरण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
9.	विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता के अलावा, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता की घोषणा करनी होगी।
10.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से अपनी जाति (अगर अनारक्षित रिक्ति हेतु आवेदन कर रहें हैं, तो भी) को दिखाना होगा और लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (यथा लागू) के समय निर्धारित प्रोफार्मा में अपनी जाति के संबंध में प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में मान लिया जाएगा और इसके पश्चात अभ्यार्थी द्वारा उनकी जाति के परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
11.	अभ्यर्थियों के पास वैध ई-मेल आईडी व मोबाईल नंबर होना चाहिए जिसे भर्ती की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए। यह केंद्र निष्क्रिय मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर प्राप्त नहीं होने वाली किसी भी सूचना/संदेश के लिये जिम्मेदार नहीं होगा ।
12.	अभ्यर्थी कृपया केंद्र की वेबसाइट की जांच नियमित रूप से करते रहें। भर्ती से संबंधित सभी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना के बारे में यह माना जाएगा कि इसके माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया गया है ।
13.	लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन और प्रवेश पत्र (जिसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना है) के प्रिंट-आउट के साथ-साथ, अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/वोटर कार्ड) से संबंधित मूल दस्तावेज अपने साथ लाएं । इसके अलावा, अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित सभी संबंधित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां भी अपने साथ लाएं ।
14.	केंद्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत अभ्यर्थियों को लिखित

	परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय **'अनापत्ति प्रमाणपत्र'** प्रस्तुत करना होगा । ऐसा न करने पर उन्हें लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
15.	• लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मुंबई बाह्य अभ्यर्थियों को, नियमानुसार, उनके आने-जाने से संबंधित यात्रा भत्ता का भुगतान, सबसे कम दूरी वाले द्वितीय श्रेणी के रेलवे किराये के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी, जो पहले से ही केंद्रीय/राज्य सरकार की सेवाओं, केंद्रीय/राज्य सरकार के निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय सरकारी संस्थानों अथवा पंचायतों में कार्यरत हैं तथा लिखित परीक्षा/शारीरिक क्षमता मूल्यांकन परीक्षा हेतु रेलवे से यात्रा संबंधी रियायत ले चुके हैं, वे इस यात्रा भत्ता के पात्र नहीं होंगे । • यात्रा भत्ता से संबंधित प्रपत्र को डाउनलोड करने के लिए <recruit.barc.gov.in>/Job Application/ Download Forms/TA claim form लिंक पर जाकर क्लिक करें। • यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति और टिकट/ई-टिकट की प्रस्तुति के पश्चात ही की जाएगी ।
16.	अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में पूछे गये (यथा लागू)प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा का विकल्प दिया जाएगा।
17.	अभ्यर्थीगण लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (यथा लागू) के लिए 2 से 3 दिन के लिए मुंबई में ठहरने के लिए तैयार होकर आना होगा।
18.	चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती, रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर होगी। उन्हें भारत के किसी भी हिस्से में और परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में काम करना होगा। इसके अलावा ड्यूटी में शिफ्ट में काम करना, जिसमें दिन-रात की शिफ्ट, क्षेत्र से संबंधित कार्य (फिल्ड वर्क) और परिचालन क्षेत्रों में कार्य करना शामिल हो सकता है ।

X छंटाई परीक्षा/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्रों की प्रतियां

1.	शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव (यथा लागू) और तकनीकी योग्यताएं (जिन विषयों की परीक्षाएं दी गई, उन विषयों का उल्लेख सहित अंक सूची) (* सेमिस्टर/*वर्ष वार अंक सूची एवं समेकित प्रमाणपत्र*)
2.	जिन अभ्यर्थियों के पास एकीकृत पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र (इंटीग्रेटेड कोर्स सर्टिफिकेट) है, वे विज्ञापन में यथा उल्लिखित, विशिष्ट डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।
3.	जन्म तिथि/आयु संबंधी प्रमाण।
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-1* में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र होना चाहिए । उक्त जाति, उस राज्य के संबंध में, राष्ट्रपति जी के आदेशों में शामिल हुआ होना चाहिए ।)
5.	अभ्यर्थियों का अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र के साथ, केंद्र सरकार के निर्धारित प्रपत्र में, एक प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और उनकी जाति/समुदाय, केंद्रीय सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होनी चाहिए । अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र की तिथि का निर्धारण, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि (12/09/2022) से किया जाएगा । अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनुलग्नक-2* में दिए गए प्रपत्र में अपने नॉन-क्रीमीलेयर की स्थिति के संबंध में एक स्व-घोषणा भी संलग्न करेंगे । आयु में छूट और आरक्षण के प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र का अर्थ है "अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं," जैसा कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) में परिभाषित है और जो भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.03.2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरईएस), दिनांक 14/10/2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 – स्था.(आरईएस), दिनांक 27/05/2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था (आरईएस) के अधीन

	संशोधित है एवं जिसका नवीनतम संशोधन, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरईएस) (अनुलग्नक-3* में दिए गए प्रपत्र के अनुसार) किया गया है।
6.	महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिनांक 23 मई 2001 को महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित महाराष्ट्र अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, विमुक्त जातियों, यायावरी जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, 2000 के अनुसार, छानबीन समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
7.	शारीरिक दिव्यांगता के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र [**अनुलग्नक- 4*** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार (बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए लागू)] (i) दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का सरंक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम 1996 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1995 के अनुसार, शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। केंद्रीय/राज्य सरकार, एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे और जिनमें से, कम से कम एक सदस्य, संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। (ii) जिन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता अस्थायी है, उनका प्रमाणपत्र 5 वर्ष के लिए वैध होगा। जहां कहीं भी दिव्यांगता की अवस्था में परिवर्तन होने की संभावना हो, वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि को दर्शाया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता स्थायी है, उनके प्रमाणपत्र की वैधता अवधि को "स्थाई" दर्शाया जा सकता है। आवेदक द्वारा इस विषय में अभ्यावेदन किये जाने पर, मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है तथा इस मामले में मेडिकल बोर्ड के अनुसार जो भी सही हो, उससे संबंधित आदेश पारित कर सकता है। (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित ऐसे दिव्यांग व्यक्ति, जो अन्य अभ्यर्थियों के साथ छूट के किसी मानदंड के बिना ही अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं, उन्हें अनारक्षित रिक्ति की श्रेणी में रखा जायेगा बशर्ते कि वह संबंधित वर्ग (यथा लागू) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित की गई हो।
8.	ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण की योजना के अधीन नहीं हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत में आते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), यदि पात्र हैं, की श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं । इस विज्ञापन के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को ही आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग से संबंधित आरक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति पर विचार करने के लिए संदर्भ तिथि के रूप में लिया जाएगा । ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जाति/आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र **अनुलग्नक-5*** में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
9.	इस बात का प्रमाण कि वे 1984 के दंगों से प्रभावित हुए थे (अगर वे आयु में छूट की मांग कर रहे हैं।)
10.	कोई अन्य संबंधित प्रमाणपत्र (यथा लागू) ।
	अनुलग्नकों को केंद्र की वेबसाइट <recruit.barc.gov.in>पर जाकर <Job Application→ Download Forms>लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है ।
	चेतावनी: (i) केवल विज्ञापन में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने मात्र से कोई भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/ शारीरिक दक्षता

	मूल्यांकन/साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं होगा । जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं होता है, उनके साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा । (ii) ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत सूचना के आधार पर उन्हें शारीरिक मूल्यांकन/साक्षात्कार हेतु लघूसूचीकृत किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन में दी गई सूचना सही है। यदि किसी भी चरण पर अथवा साक्षात्कार के समय यह पाया जाता है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना अथवा किया गया दावा झूठा है, तो उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी।
	इस भर्ती संबंधी कोई भी विवाद केवल मुंबई स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
	जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, उनके अभिलेखों को चयन सूची निर्माण की तिथि के 6 माह के बाद नहीं रखा जाएगा।
किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश को अयोग्यता माना जाएगा ।	